न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, रामस्वरूप चौहान, आर.ए.एस.

अपील संख्या 26/15
(जीसीएमएस संख्या 2015/00036)

निर्णय दिनांकः—30-5-2022

1. लिखमाराम पुत्र हजारीराम जाति सुनार निवासी सिनियाला तहसील नोखा जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1.	रूखमा बेवा बिरमाराम	जाति सुनार निवासीगण ग्राम सिनियाला तहसील नोखा जिला बीकानेर।
2.	रेवन्तराम पुत्र बिरमाराम	
3.	गोपाल पुत्र बिरमारा	
4.	सोहनलाल खोलायत पुत्र गुलाराम	
5.	ज्यानी पुत्री हजारीराम	
6.	मूलाराम	पिसरान गैनाराम जाति जाट निवासीगण सिनियाला तहसील नोखा जिला बीकानेर।
7.	अर्जनराम	
8.	मनीराम	
9.	तीजा	
10.	चम्पा	
11.	सुगना	
12.	बीरबल पुत्र केसराराम जाति जाट	
13.	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलार, नोखा	

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 14—03—2015
उपखण्ड अधिकारी, नोखा

उपस्थितिः—

1. श्री जयचन्दलाल सारस्वत, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री मेघाराम गोदारा, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स
3. श्री मिलाप चन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, नोखा के निर्णय व डिक्री दिनांक 14–03–2015 जिसके द्वारा विधि विरूद्व तरीके से प्राथमिक डिक्री जारी की गई, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि विवादित आराजी वाके रोही ग्राम सिनियाला के खेत खसरा नम्बर 121, 122, 481, 482, 599, 602, 603, 68 तादादी 31.50 हेक्टर भूमि सुंयक्त खाते की भूमि है। जिसमें आसूराम लाऔलाद फौत हो गया, जिसका उक्त भूमि पर 1/5 हिस्सा निहित था, जिसे वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 ने अपने पति/पिता बिरमाराम के पक्ष में तथाकथिम बैयनामा होना बताया तथा उक्त भूमि में से 2.52 हेक्टर रकबा प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट् संख्या 6 ता 8 मूलाराम, अर्जनराम, मनीराम पिसराम गेनाराम जाट को विक्रय कर दी तथा शेष 3.815 हेक्टर भूमि अपनी बताकर दूरभि संधि करके अपीलांट के हक व हिस्से को हड़प करने की नियत से तथ्य छिपाकर अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वादपत्र पत्र प्रस्तुत किया गया व अपीलांट् के विरूद्व फर्जी तरीके से एकतरफा कार्यवाही/तामील बताकर आदेश जैर अपील एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 14–03–2015 प्राप्त कर ली गई। अदालत मातहत का उक्त आदेश विधिक प्रावधानों के विपरीत पारित किया गया आदेश है।

उन्होनें आगे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रतिवादी संख्या 1 ता 8, 10 के सम्मन तामील होकर व प्रतिवादी संख्या 9 के सम्मन इंकारी के साथ लौटकर आना बताया जिसमें प्रतिवादी की सहमति दी जिनमें प्रतिवादी संख्या 4 ता 8 स्वयं उपस्थित आये और खाता विभाजन की सहमति दी। जबकि वास्तविक स्थिति यह है कि प्रतिवादी संख्या 4, 5 व 6 खरीददार है जिनका मौक पर भौतिक कब्जा नहीं है तथा

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

प्रतिवादी संख्या 7 व 8 तीजा व चम्पा पिसरान छगनलाल भी खरीददार से मिलें हुए है। इन सभी ने न्यायालय को धोखे में रखकर अपीलांट् के विरूद्व आदेश जैर अपील प्राप्त किया गया है। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील के माध्यम से प्राथमिक डिक्री जारी करते हुए यह भी अभिलिखित किया गया है कि अपीलांट् सहित सभी सह–खातेदार काश्तकारों को पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण के कब्जे काश्त में किसी तरह से दखलंदाजी नहीं करे जो आदेश परस्पर विरोधाभसी एवं विधि विरूद्व आदेश है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने आगे कथन किया कि अदालत मातहत द्वारा प्रकरण को लोक अदालत की भावना से निर्णित किया गया है जबकि लोक अदालत मे ऐसे प्रकरणो का निस्तारण किया जाता है जहॉ सभी पक्षकारों की आपस में सहमति प्रदान की गई हो। प्रकरण में अपीलांट् द्वारा न तो अपनी सहमति ही प्रदान की गई है, ना ही अपीलांट् को लोक अदालत में उपस्थित होने की कोई सूचना आदेशिका में अंकित है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया ही साबित है कि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट् के अधिकारों को विधि विरूद्व तरीके से लोक अदालत का सहारा लेते हुए समाप्त किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत है। आराजी जैर में सभी सह खातेदारों का समान कब्जा काश्त कानूनन होता है, तथा सहखातेदारों के बीच बाई मिट्स एण्ड बॉउण्ड विभाजन कराने की सहमति दी ना ही कब्जे काश्त के आधार पर प्राथमिक डिक्री जारी की गई। आराजी जैर पर सभी सह खातेदार अपने–अपने हिस्से पर काबिज है इसलिए कब्जे के अनुसार प्राथमिक डिक्री पारित की जानी चाहिए थी। अतः अदालत मातहत का निर्णय व डिक्री खारिज योग्य होने से खारिज फरमाया जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट् ने अपनी बहस में बताया कि वादगत् आराजी पर अपीलांट व रेस्पोडेन्ट्स अपने–अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रहे है व अपने हिस्से की भूमि का विभाजान कराने के अधिकारी है। रेस्पोडेन्ट्स/वादीगण वादग्रस्त भूमि पर अपने–अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। उक्त भूमि के बाई मिट्स एण्ड बाऊण्ड्स विभाजन हेतु वादीगण

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

द्वारा अदालत मातहत के समक्ष धारा 53, 188 आरटीए का वादपत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा अपीलांट् व अन्य सभी सहखातेदारों को विधिवत नोटिस जारी किये जाने पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 व 10 के सम्मन बाद तामील प्राप्त हुए तथा प्रतिवादी संख्या 9 के सम्मन लेने से इंकारी के साथ प्राप्त हुए व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3, 10 बावजूद तामील न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाने के उपरान्त अदालत मातहत द्वारा वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हिस्स वे कब्जे काश्त के अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाऊण्ड्स विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। मौके पर अपीलांट् व रेस्पोडेन्ट नजरी नक्शे के अनुसार काबिज है व अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सभी सहखातेदारों के हिस्से व कब्जे काश्त के अनुसार ही निर्णय व डिक्री जारी की गई है। जिसमें हस्तक्षेत करना उचित नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. हस्तगत् प्रकरण में वादीगण/रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अदालत मातहत के समक्ष वादग्रस्त भूमि वाके तहसील नोखा की रोही ग्राम सिनियाला के खेत खसरा नम्बर 121, 122, 481, 482, 599, 602, 603, 68 तादादी 31.50 हेक्टर भूमि वादपत्र प्रस्तुत किये जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/रेस्पोडेन्ट्स के वास्तविक कब्जे काश्त को ध्यान में रखते हुए हिस्से के अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाऊण्ड्स अर्थात अच्छी से अच्छी बाऊण्ड्स विभाजन की प्राथमिक डिक्री उभय पक्षों को रास्ता उपलब्ध कराते हुए जारी की गई। अपीलांट् यदि अदालत मातहत के उक्त आदेश से किसी प्रकार से व्यथित है तो ऐसी स्थिति में वह अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित होकर अपना मत व्यक्त कर सकते है क्योंकि प्रकरण में अभी वादग्रस्त भूमि के बाबत् अंतिम डिक्री जारी होना शेष है। विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी का उद्वेश्य ही यह होता है कि सभी पक्षकारों के धारण/कब्जे काश्त की भूमि को ध्यान में रखते हुए बाई मिट्स एण्ड बाऊण्ड्स प्रस्ताव तैयार किये जावे व उक्त प्रस्ताव तैयार करते समय यदि

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

किसी सह खातेदार को कोई आपत्ति होती है तो वह तत्समय अपनी आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु स्वतन्त्र रहता है। प्रकरण में अपीलांट् भी यदि विभाजन की प्राथमिक डिक्री से किसी प्रकार से व्यथित/असहमत भी है तो वह अपनी आपत्ति विभाजन के प्रस्ताव तैयार करते समय अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत करते हुए विभाजन की प्राथमिक डिक्री को चुनौती दी जा सकती थी। अपीलांट् द्वारा अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित नहीं आते हुए प्रस्तुत अपील के माध्यम से विभाजन की प्राथमिक डिक्री को असामयिक (Premature) स्तर पर निरस्त कराने की चेष्टा की गई है। लिहाजा अपीलांट् द्वारा प्रस्तुत अपील के मद्देनजर किसी एक पक्षकार के हितों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अन्य सह खातेदार को उनके विधिक अधिकारों को वंचित नहीं किया जा सकता। नाही कानून इसकी अनुमति प्रदान करता है। प्रकरण में जहॉ तक अपीलांट् का यह कथन कि आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है, इस संबंध में अदालत मातहत को निर्देशित किया जाता है कि प्राथमिक डिक्री के अनुसरण में विभाजन के प्रस्ताव तैयार करते समय अपीलांट् द्वारा यदि कोई आपत्ति प्रस्तुत की जाती है तो उक्त आपत्ति पर विभाजन के विधिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही की जावे। लिहाजा अपीलांट् प्रस्तुत अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होने से अपीलांट् की अपील इसी स्तर पर खारिज की जाती है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी, नोखा का निर्णय व डिक्री दिनांक 14–03–2015 बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 30/5/22 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रामस्वरूप चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

डिकरी ब सीगे अपील

(ऑ. 41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'G' 9)

अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी मुकाम बीकानेर
बइजलास रामस्वरूप चौहान, आर.ए.एस.

लिखमाराम बनाम रूखमा
(अपील संख्या 26/15)

बनाराजगी निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी, नोखा
मुवर्खे 14–03–2015

यह अपील ब–तारीख 30–05–2022 रूबरू हमारी ब हाजरी श्री जयचन्द सारस्वत, अभिभाषक अपीलांट् व श्री मेघाराम गोदारा अभिभाषक रेस्पोडेन्ट् व राजकीय अभिभाषक मिलापचन्द धतरवाल पेश होकर हुक्म हुआ। जिसके अनुसार अपीलांट् की अपील खारिज की जाकर उपखण्ड अधिकारी, नोखा का निर्णय व डिक्री दिनांक 14–03–2015 यथावत बहाल रखा गया।

(खर्चा अपील हाजा का हल्व तफ्सीस जेरे तादादी मुबलिग .....–.....) रूपयें अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का .....–..... अदा करें ।

बशब्द मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 30 माह मई सन् 2022 को जारी किया गया।

30/5/22

मुहर

हस्ताक्षर राजस्व अपील प्राधिकारी,
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू.	पै.	रेस्पोडेन्ट	रू.	य पै.
1. स्टाम्प अपील..... 2. स्टाम्प वकालतनामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत् ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालतनामा..... 2. अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील ..... मीजान		